


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा  
(म0प्र0)



R.951-II/12

रमेश भट्ट तनय प्रेमदत्त भट्ट उम्र 40 वर्ष, पेशा-व्यवसाय, निवासी-कसवा  
सेमरिया थाना व तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- सुजीत कुमार सोनी तनय मुनींद्र सोनी, निवासी-कसवा सेमरिया थाना व  
तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
  - 2- गोपाल दत्त भट्ट
  - 3- रविशान्त भट्ट
  - 4- प्रशान्त कुमार भट्ट
  - 5- रेनू भट्ट
  - 6- ऋषि भट्ट
  - 7- राहुल भट्ट
  - 8- प्रेमदत्त भट्ट
  - 9- मोहनलाल भट्ट तनय लक्ष्मी शंकर भट्ट
- } तनय श्री प्रेमदत्त भट्ट
- } तनय हरिदत्त भट्ट
- निगरानीकर्तागण

निगरानी धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता 1959 ई0

निगरानी आदेश विरुद्ध न्यायालय अपर  
कलेक्टर महोदय जिला रीवा (म0प्र0)

प्र0क्र0 75/अ74/2011-12

आदेश दिनांक 16/03/2012

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय महोदय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 के  
प्र0क्र0 75/अ74/2011-123 आदेश दिनांक 16/03/2012 विधि प्रक्रिया  
विपरीत त्रुटिपूर्ण आदेश है जिस कारण से माननीय न्यायालय में  
सदभावनापूर्वक निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।


*(Handwritten signatures)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-951-II/12

जिला-रीवा

रमेश कुमार भट्ट/सुजीत कुमार सोनी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0 अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 75/अ-74/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	